विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0032113

मेसर्स ए.व्ही.एन. ट्यूब लिमिटेड, — आवेदक
19/2, माईलस्टोन, भिण्ड रोड,
ग्वालियर (म.प्र.) – 477117

विरूद्ध

महाप्रबंधक, — अनावेदकगण
(संचा/संधा) वृत्त,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ग्वालियर (म.प्र.) – 477117

आदेश

(दिनांक 13.01.2014 को पारित)

आवेदक की ओर से कु. गजाला खान, एडवोकेट उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री गिरधर प्रसाद उपवंशी, अधिवक्ता तथा श्री बी.एल. सिंह उमराव, उप महाप्रबंधक उपस्थित ।

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जाएगा) के शिकायत क्रमांक C0126513 मेसर्स ए.व्ही.एन. ट्यूब्स लिमिटेड विरूद्ध महाप्रबंधक में पारित आदेश दिनांक 17.04.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसने व्यावसायिक संस्थान के लिए 600 कि.वा. का लोड 33 के.वी.ए. सप्लाई लाईन पर प्राप्त किया था । प्रतिष्ठान आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण स्वीकृत विद्युत भार का उपयोग प्रतिष्ठान में न होने से स्वीकृत भार को 100 कि.वा. किए जाने का आवेदन उपभोक्ता की ओर से दिनांक 01.10.11 को किया गया था । औपचारिक कार्यवाही पूर्ण कर अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से दिनांक 24.11.11 को पत्र प्रेषित कर उसके आवेदन

पत्र को स्वीकार करते हुए मीटर सिक्यूरिटी डिपॉजिट के रूप में एक लाख रू. जमा करने के बाद संशोधित संविदा करने के लिए कहा गया था । स्वीकृत भार 600 से 100 किए जाने के लिए नवीन मीटर लगाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 600 भार के लिए जो मीटर लगा था उसी मीटर से 100 के.वी.ए. भार की सप्लाई की जा सकती थी । उपभोक्ता के परिसर में पहले से ही मीटर स्थापित था, अतः नवीन मीटर लगाए जाने के लिए उससे 1 लाख रू. सुरक्षा निधि की जो मांग की गई थी वह अनुचित थी। उपभोक्ता द्वारा ऐसी राशि जमा न किए जाने के कारण उसके भार में कमी नहीं की गई थी । इस तरह अनावेदक की ओर से अनियमित कार्यवाही की गई थी, अतः विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.12.11 से उसके भार में कमी होना माना जाए तद्नुसार विद्युत देयकों में संशोधन किया जावे ।

3. फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में यह निष्कर्ष दिया है कि अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र अपूर्ण होने के कारण समय सीमा में उसका निराकरण नहीं किया गया है, अतः उपभोक्ता चाहा गया लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

4. फोरम के उक्त आदेश से व्यथित होकर उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उसकी शिकायत का निराकरण नहीं किया है, अतः विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उसकी शिकायत का निराकरण किया जाए ।

5. **विचारणीय प्रश्न यह है कि –** क्या दिनांक 01.12.11 से उपभोक्ता को संविदा मांग में कमी किए जाने को अनुज्ञेय किया जा सकता है ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

6. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के पत्र क्रमांक सी0जी0एम/जी0आर0/07/जी0एम0–28/24027 दिनांक 24.11.11 के अनुसार उपभोक्ता के आवेदन को स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.12.11 से उसे संविदा मांग में कमी किया जाना अनुज्ञात किया गया था, परन्तु संशोधित संविदा करने के लिए यह शर्त अधिरोपित की गई थी कि उपभोक्ता मीटर सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में एक लाख रू. जमा करें । अनावेदक की ओर से लगाई गई इस शर्त को उपभोक्ता ने अनुचित होना बताया है । उसका तर्क यह है कि संविदा मांग में कमी किए जाने के आवेदन को स्वीकार करते समय अनावेदक की ओर से ऐसी शर्त अधिरोपित नहीं की जा सकती है ।

7. अनावेदक की ओर से श्री गिरधर प्रसाद उपवंशी, अधिवक्ता तथा श्री बी.एल. सिंह उमराव, उप महाप्रबंधक उपस्थित हुए हैं । अनावेदकगण की ओर से इस विषय में यह तर्क किया गया है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कण्डिका 1.10 के प्रावधानों के अनुसार विद्यमान विद्युत संयोजनों के संबंध में भी मीटर प्रतिभूति निक्षेप की राशि संग्रह की जा सकती है । तर्क के दौरान उनकी ओर से यह भी कहा गया कि 2009 के पहले ऐसी प्रावधान नहीं थे, अतः मीटर प्रतिभूति के निक्षेप की राशि की मांग नहीं की गई थी ।

8. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 जिसका पुनरीक्षण 2009 में किया गया था, की कण्डिका 1.9 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विद्यमान विद्युत असंयोजनों के संबंध में जहां मीटर प्रतिभूति निक्षेप वसूल न किया गया हो, के संबंध में मीटर प्रतिभूति निक्षेप वसूल कर सकेगा ।

9. प्रतिभूति निक्षेप विनियम, 2004 जिसका पुनरीक्षण 2009 में किया गया है के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार दिया है कि अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान विद्युत संयोजनों के संबंध में जहां उपभोक्ता से मीटर प्रतिभूति निक्षेप वसूल न किया गया हो वहां प्रावधानित दरों से वह मीटर प्रतिभूति निक्षेप वसूल कर सकेगा, लेकिन ऐसा उपभोक्ता उसी स्थिति में कर सकेगा जब मीटर प्रतिस्थापित किया जाए ।

10. प्रतिभूति निक्षेप विनियम, 2009 की कण्डिका 1.9 से 1.12 में मीटर प्रतिभूति निक्षेप के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है । उक्त विनियम के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि नवीन विद्युत संयोजनों के लिए मीटर प्रतिभूति निक्षेप की राशि आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर समय–समय पर निर्धारित तालिका के अनुसार ही वसूल कर सकेगा । विद्यमान विद्युत संयोजनों के संबंध में ऐसी राशि उसी स्थिति में वसूली योग्य होगी जब पहले मीटर की प्रतिभूति निक्षेप की राशि संग्रह न की गई हो तथा यह राशि उस समय संग्रह की जाएगी जब मीटर प्रतिस्थापित किया जाए । यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि मीटर हेतु प्रतिभूति निक्षेप की राशि पूर्व में संग्रह की जा चुकी हो उस स्थिति में अनुवर्ती मीटर की लागत उपभोक्ता से संग्रह नहीं की जाएगी तथा यदि उपभोक्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मीटर स्थापित करता है उस स्थिति में ऐसे निक्षेप की राशि उपभोक्ता से संग्रह नहीं की जाएगी ।

11. प्रश्नगत् मामलें में उपभोक्ता को 600 के.वी.ए. का भार स्वीकृत किया गया था । अनावेदक की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य का साक्ष्य प्राप्त हो कि 600 के.वी.ए. का भार स्वीकृत किए जाते समय तथा ऐसे भार का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किए जाते समय विद्युत उर्जा की खपत का निर्धारण करने के लिए मीटर प्रतिस्थापित नहीं किया गया था । अनावेदक की ओर से ऐसा कोई

दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे इस तथ्य का साक्ष्य प्राप्त हो कि 600 के.वी.ए. भार को कम करने पर नवीन मीटर प्रतिस्थापित करना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त यदि नवीन मीटर प्रतिस्थापित करना आवश्यक था उस स्थिति में भी अनावेदक कम्पनी उपभोक्ता से मीटर प्रतिभूति के निक्षेप की राशि कण्डिका 1.11 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में संग्रह नहीं कर सकता था । कण्डिका 1.12 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है जिसके अनुसार यदि मीटर प्रतिस्थापित करना आवश्यक था उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह बाध्यकारी था कि वह उपभोक्ता को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मीटर स्थापित करने का अवसर प्रदान करता परन्तु इस मामले में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को ऐसा अवसर भी नहीं दिया गया था ।

12. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 7.9 से 7.14 में संविदा मांग में कमी हेतु प्रक्रियां निर्धारित की गई है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने संविदा मांग में कमी हेतु जो प्रक्रियां निर्धारित की है उस प्रक्रियां में अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी संविदा मांग में कमी उसी स्थिति में करेगा जब उपभोक्ता मीटर प्रतिभूति निक्षेप जमा करेगा । निर्धारित प्रक्रियां का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आयोग द्वारा जो प्रक्रियां निर्धारित की गई है उसी प्रक्रियां के अनुसार उपभोक्ता की इच्छा पर संविदा मांग में कमी की जाएगी ।

13. विधि के उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग में कमी किए जाने का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । उस आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए अनावेदक कम्पनी ने मीटर प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने की जो शर्त अधिरोपित की थी वह अनुचित थी तथा ऐसी शर्त अधिरोपित करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी को नहीं था ।

14. अनावेदक की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन मंजूर होने के बाद भी उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई विद्युत मात्रा से संविदा मांग में कमी होना परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि यदि दिनांक 01.12.11 से संविदा मांग में कमी होना माना जाए तो दिसम्बर 11 तथा जनवरी 12 को छोड़कर फरवरी, 12 से दिसम्बर 12 के मध्य उपभोक्ता द्वारा 100 के.वी.ए. भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया गया है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के संविदा भार में कमी होना नहीं माना जा सकता है ।

15. उपभोक्ता ने 600 के.वी.ए. की संविदा मांग को 100 के.वी.ए. किए जाने का आवेदन पेश किया था तथा अनावेदक द्वारा दिनांक 01.12.11 से उसकी संविदा मांग में कमी किया जाना मंजूर किया गया था । यदि उपभोक्ता द्वारा अनावेदक की अनुचित मांग को न मानकर मीटर के निक्षेप की राशि जमा नहीं की थी

तथा नवीन संविदा नहीं की थी इससे यह नहीं माना जा सकता कि दिनांक 01.12.11 से उसकी संविदा मांग में कमी नहीं की गई थी । यदि दिनांक 01.12.11 के बाद उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया गया था तब उस स्थिति में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने के कारण उपभोक्ता से टैरिफ की वसूली की जा सकती है और ऐसी राशि की वसूली भूतलक्षी प्रभाव से भी की जा सकती है । अनावेदक की अनुचित मांग का न मानते हुए यदि उपभोक्ता ने भार की कमी किए जाने की संविदा निष्पादित नहीं की थी तथा वह 100 के.वी.ए. भार से अधिक भार का उपयोग कर रहा था, के कारण यह नहीं माना जा सकता है कि उपभोक्ता दिनांक 01.12.11 से स्वीकृत भार में कमी किए जाने का अधिकारी नहीं हैं ।

:निष्कर्षः

16. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत की थी वह सहीं थी । फोरम ने विधि के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण नहीं किया है । अनावेदक द्वारा मीटर निक्षेप की राशि जमा करने की जो शर्त उपभोक्ता पर अधिरोपित की थी वह शर्त अनुचित थी । अतः मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 7.11 के खण्ड – ब के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में यह माना जाता है कि उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी किया जाना दिनांक 01.12.11 से माना जावेगा और दिनांक 01.12.11 के बाद अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से 100 के.वी.ए. भार के आधार पर ही टैरिफ वसूल करने का अधिकारी होगा । सन्देह के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 01.12.11 के बाद यदि उपभोक्ता द्वारा 100 के.वी.ए. स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किया जाना पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी नियमानुसार ऐसे अधिक भार के लिए उपभोक्ता से नियमानुसार टैरिफ वसूल पाने का अधिकारी होगा ।

17. तद्नुसार उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रतियां पक्षकारों को नियमानुसार दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल